



महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha



समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226007

वेब-साइट: www.basiceducation.up.gov.in, ई-मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128

प्रेषक,

ई-मेल द्वारा

महानिदेशक,
स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: नि0का0/स0शि0/क0स्कूल ग्राण्ट/2416/2025-26 दिनांक: 09 July 2025

विषय: वर्ष 2025-26 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय/कम्पोजिट विद्यालयों में कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट हेतु बजट-निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

‘समग्र शिक्षा’ की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2025-26 के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों को नामांकन के आधार पर 05 श्रेणी में वर्गीकृत करते हुये कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि रु0 24651.75 लाख संलग्नक-1 के अनुसार प्रेषित की जा रही है।

उक्त सम्बन्ध में धनराशि उपभोग करने के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देश निर्गत किये जाते हैं:-

- ✓ कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की धनराशि में सम्मिलित टेबलेट्स के संचालनार्थ सिम कार्ड एवं इन्टरनेट की सुविधा हेतु अनुमन्य धनराशि जनपद स्तर पर रोकते हुए शेष धनराशि विद्यालय प्रबन्ध समिति के खातों में- श्रेणी के अनुसार ही हस्तान्तरित की जाये, जिसका व्यवहरण अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव (प्रधानाध्यापक) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। टेबलेट्स के संचालनार्थ सिम कार्ड एवं इन्टरनेट की सुविधा हेतु जनपद स्तर पर उन्हीं विद्यालयों की धनराशि व्यय की जायेगी, जिनमें टैबलेट आवंटित किये गये हैं। जिन विद्यालयों में टैबलेट आवंटित नहीं किये गये हैं, उन विद्यालयों को कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट मद में स्वीकृत पूर्ण धनराशि आवंटित की जायेगी।
- ✓ पी0एम0श्री योजनान्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय चरण के आच्छादित विद्यालयों को कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट अवमुक्त न की जाए है।
- ✓ शासनादेश संख्या 2223/79-5-2012-29/99 टी0सी0-11 दिनांक 06 जुलाई, 2012 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। (संलग्नक-2)
- ✓ कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट से क्रय की जाने वाली सामग्री के बिल बाउचर की फोटो तथा कराये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में कार्य से पूर्व तथा कार्य के पश्चात् की फोटो प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप पर अपलोड की जाये।

- ✓ प्रत्येक विद्यालय में भवन की दीवार पर कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट के मद में उपलब्ध एवं व्यय होने वाली धनराशि का वर्षवार एवं मदवार विवरण पेन्ट कराया जाये।

अनुमन्य कार्य:— कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट-2025-26 के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का उपभोग निम्नलिखित वरीयता क्रम में विद्यालय प्रबन्ध समिति के अनुमोदनोपरान्त किया जाये:—

1. कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष न्यूनतम 10 प्रतिशत धनराशि अनिवार्य रूप से स्वच्छता अभियान/कार्यक्रम पर व्यय हेतु आरक्षित की जायेगी, जो विद्यालय भवन, परिसर एवं छात्रों की स्वच्छता पर व्यय की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि, विद्यालय में आवश्यकतानुसार स्वच्छता सामग्री, यथा— टॉयलेट क्लीनर, फिनायल, साबुन, चूना, झाड़ू, डस्टिंग क्लॉथ, नेलकटर, हैण्डवॉश, सैनिटाइजर इत्यादि प्रत्येक दशा में वर्षपर्यन्त उपलब्ध रहे।
2. परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के उपयोगार्थ उपलब्ध कराये जा रहे टेबलेट्स के संचालनार्थ सिम कार्ड एवं इण्टरनेट की सुविधा (वित्तीय वर्ष 2025-26) हेतु आने वाले बिल का भुगतान स्वीकृति के अनुरूप जनपद स्तर से किया जाये, जिसके सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा सम्पादित की जायेगी। उक्त सम्बन्ध में सूचना संकलन एवं पत्रावली व्यवहृत करने का कार्य जिला समन्वयक(प्रशिक्षण) द्वारा किया जायेगा।
3. 'निपुण भारत' के लोगो (Logo) की पेन्टिंग कार्य हेतु विद्यालय भवन की ऐसी दीवार का चयन किया जाये, जो जनसामान्य हेतु प्रथम दृष्ट्या दृश्यमान हो। लोगो की पेन्टिंग की माप आयताकार (45 से0मी0 चौड़ा एवं 60 से0मी0 ऊँचाई) के आकार में होगी। इस प्रयोजन हेतु जनपद स्तर पर प्रत्येक विद्यालय में 'निपुण भारत' के लोगो (Logo) की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
4. विद्यालय के ऐसे शौचालय/मूत्रालय जो छोटी-छोटी मरम्मत/छोटे-छोटे आवश्यक कार्य, यथा— शौचालय शीट/यूरिनल पॉट में टूट-फूट, leach-pit निर्मित न होने अथवा कम गहरा होने आदि के कारण अक्रियाशील हैं, उनमें उक्त कार्यों को कराकर उन्हें क्रियाशील करा लिया जाये। यदि शौचालय में टाइलीकरण का कार्य नहीं हुआ है, तो इसे अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिया जाये।
5. रसोईघर में भोजन तैयार किये जाने एवं रसोईघर तथा बर्तनों की साफ-सफाई हेतु जल आपूर्ति एवं जल निकासी की समुचित व्यवस्था करायी जाये।
6. समस्त परिषदीय विद्यालयों के प्रत्येक कक्षा-कक्ष में मानकानुरूप एवं गुणवत्तायुक्त व्हाइट/ग्रीन बोर्ड की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाये।
7. हैण्ड पम्प/सबमर्सिबल पम्प के पास पक्का प्लेटफार्म एवं सोख्ता-गड्ढा का निर्माण अनिवार्य रूप से कराया जाये, ताकि हैण्डपम्प के आस-पास जल भराव न हो सके तथा साफ-सफाई रहे।

अन्य आवश्यक कार्य

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश के पत्रांक महानिदेश0/कैम्प/2025/325 दिनांक 10 अप्रैल, 2025(संलग्नक-3) द्वारा प्राथमिक चिकित्सा किट में निम्नलिखित दवाईयां रखे जाने की सलाह दी गयी है:—

(1)ORS Powder (2)Tab Ofloxacin 100 mg (3) Syrup Paracetamol (4)Syrup Ondem (5) Syrup Metrogyl (6) Syrup Diclomine (7) Betadine Ointment (8)Cotton, Gauze and Bandage (9)Band-Aid (10)Diclofenac gel Ointment

इन दवाईयों को देने से पहले किसी एम०बी०बी०एस० चिकित्सक की सलाह अवश्य ली जाये। इसके अतिरिक्त समय-समय पर आवश्यकता पड़ने वाली अन्य चिकित्सीय दवाई एवं सामग्री, यथा— मेडिकल टेप, क्रैम्प बैंडेज, मरहम पट्टी, त्रिकोणीय बैंडेज, स्पिलिंट (spilint), टूर्निक्वेट (tourniquet), थर्मामीटर, कैची, दस्ताने, पेन रिलीवर टैबलेट, पेट दर्द एवं गैस की दवा, बरनॉल, आँख पर लगाने वाली पैड, गरम पानी की बोतल, ब्लेड, बर्फ की थैली, एंटीसेप्टिक क्रीम इत्यादि का क्रय किया जाये। **फर्स्ट-एड-बॉक्स** हेतु क्रय की गयी सामग्री/दवाईयों की समाप्ति तिथि (**expiry date**) का अवश्य मिलान करा लिया जाये तथा **expired** दवायें नष्ट कर दी जायें एवं आवश्यकतानुसार दवाईयों का क्रय किया जाये।

2. विद्यालय में उपलब्ध अग्नि शमन यंत्र के life cycle चेक करने के उपरान्त रीफिलिंग करायी जानी है। यदि पूर्व से उपलब्ध अग्नि शमन सिलेंडर निष्प्रयोज्य अवस्था में हो गया है, तो ऐसी स्थिति में नये यंत्र का क्रय कर लिया जाये।
3. विद्यालय के अक्रियाशील विद्युत उपकरण यथा— एल0ई0डी0, ट्यूबलाइट, पंखें, स्विच आदि को ठीक करने अथवा उसके बदलने का कार्य कराया जाये।
4. छात्र उपस्थिति पंजिका, शिक्षक उपस्थिति पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, स्टॉक बुक, पुस्तकालय स्टॉक बुक, अन्य रजिस्टर, वर्षपर्यन्त आवश्यकतानुसार चॉक एवं डस्टर का क्रय किया जाये।
5. उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये इस अनुदान राशि से प्रयोगशालाओं और कम्प्यूटर शिक्षा विषयक आवश्यक कन्ज्यूमेबल सामग्री तथा इण्टरनेट पर व्यय भी अनुमत्य है।
6. यदि विद्यालय की रंगाई-पुताई गत वर्ष में कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट से अथवा ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत नहीं कराई गयी है तो वर्षा ऋतु के उपरान्त विद्यालयों की रंगाई-पुताई, दरवाजे, खिड़कियों, ग्रिल, चहारदीवारी, गेट के पेन्ट एवं वॉल-पेन्टिंग का कार्य भी आवश्यकतानुसार कराया जाये। प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में एकरूपता लाये जाने के लिये आवश्यक है कि भवन बाहर से अनिवार्य रूप से सफेद रंग (हरी पट्टी-प्राथमिक विद्यालय एवं लाल पट्टी-उच्च प्राथमिक विद्यालय सहित) में पुतवाया जायेगा।
7. कक्षा-कक्षों का टाइलीकरण— ऐसे विद्यालय जिसमें कक्षा-कक्षों की फर्श टूटी-फूटी/क्षतिग्रस्त है और वहाँ रु0 75000/- या उससे अधिक कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की धनराशि प्राप्त हो रही है वहाँ, प्रथम वरीयता एवं द्वितीय वरीयता के कार्य एवं अन्य आवश्यक कार्यों, यथा— सहायक शिक्षण सामग्री, प्राथमिक उपचार सामग्री, अग्निशमक यंत्र की रीफिलिंग, यथावश्यक पेंटिंग कार्य, अक्रियाशील उपकरणों को ठीक कराना/बदलवाना आदि कार्यों को कराने के बाद यदि पर्याप्त धनराशि अवशेष बचती है, तो उपलब्ध धनराशि के अनुरूप कक्षा-कक्षों के टाइलीकरण का कार्य विद्यालय प्रबन्ध समिति से अनुमोदनोपरान्त कराया जायेगा।
8. स्मार्ट क्लास सुरक्षा एवं रख-रखाव से सम्बन्धित निम्नलिखित व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जायेंगी:—
 - विद्यालय के गेट और कक्षों के समस्त दरवाजों पर सामान्य ताला के स्थान पर डबल इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाये। साथ ही जिस कक्षा-कक्ष में स्मार्ट क्लास एवम् ICT Lab के उपकरण हों, उस कक्ष के दरवाजे लोहे के तथा उसकी खिड़कियों पर लोहे की सुरक्षित ग्रिल व पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित कुन्डी की व्यवस्था की जाये।
 - स्मार्ट क्लास एवं ICT Lab की सुरक्षा एवं रख-रखाव सम्बन्धी अपरिहार्य कार्य कराये जा सकेंगे।

9. 250 से अधिक छात्र नामांकन वाले विद्यालय, जहां 75,000/- अथवा ₹ 1,00,000/- की धनराशि अनुमन्य है, उन विद्यालयों में धनराशि की बचत के अनुसार आर0ओ0 वॉटर कूलर विद्यालय प्रबन्ध समिति के अनुमोदन से स्थापित किया जा सकता है।

कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों एवं क्रय की जाने वाली सामग्री की सुझावित सूची संलग्न है (संलग्नक-4)।

सामान्य निर्देश:-

1. विद्यालय की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही वित्तीय नियमों का पालन करते हुए अच्छी गुणवत्ता की सामग्री क्रय की जाए। यह विशेष ध्यान रखा जाये कि एक ही कार्य के लिये दो मदों से धनराशि कदापि आहरित न हो। इस प्रकार के तथ्य प्रकाश में आने पर इसे गबन की श्रेणी में मानते हुये कार्यवाही की जायेगी।
2. विद्यालय प्रबन्ध समितियों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न सामग्रियों की क्रय प्रक्रिया में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत क्रय प्रक्रिया सम्बन्धी शासनादेशों, नियमावलियों एवं निर्देशों तथा स्टोर पर्चेज रूल्स में दिये गये आदेश एवं निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इस सम्बन्ध में नियमानुसार कोटेशन/निविदा प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की धनराशि विद्यालय के खातों में हस्तान्तरण के बाद प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर बैठक आयोजित की जाये, जिसमें खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा समस्त प्रधानाध्यापकों/इंचार्ज अध्यापकों को कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट मद में अवमुक्त धनराशि, विभागीय निर्देश, क्रय की प्रक्रिया इत्यादि के साथ-साथ धनराशि उपभोग की विधिवत् जानकारी दी जाये।
4. कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट से क्रय की गयी सामग्री स्टॉक पंजिका में अंकित की जाये। 1- consumable सामग्री, जैसे- फिनायल, साबुन, मिष्ठान, हेतु 2- non-consumable सामग्री, जैसे- आलमारी, रजिस्टर, श्यामपट जैसी स्थायी प्रकृति की सामग्री, की प्रविष्टि की जाये।
5. कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट उपभोग के लिये सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।

कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट से क्रय की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित कराया जायेगा-

1. सामग्री क्रय में निर्धारित मानक एवं स्पेसीफिकेशन का पालन।
2. क्रय की जाने वाली सामग्री भारतीय मानक ब्यूरो(BSI) से प्रमाणित हो तथा यथासम्भव जी0एस0टी0 पंजीकृत फर्म से ही क्रय की जाये।
3. जो सामग्री BSI द्वारा प्रमाणित न हो वह मूल निर्माता/उत्पादक अथवा अधिकृत विक्रेता से ही क्रय की जाये।

अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं सत्यापन:-

- कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट मद में अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपभोग प्रमाण-पत्र प्रधानाध्यापक एवं अध्यक्ष, विद्यालय प्रबन्ध समिति के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर ब्लॉक स्तर पर संरक्षित रखा जायेगा एवं प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट Data Capture Format (DCF) पर विद्यालयवार, मदवार त्रुटिरहित सूचना सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपलोड की जायेगी।

- खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने विकास खण्ड में रैंडम आधार पर 20% विद्यालयों में सामग्री क्रय की प्रक्रिया, उसकी गुणवत्ता तथा अभिलेखों के रख-रखाव के सम्बन्ध में स्वयं जांच करेंगे और निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
- सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी प्रत्येक माह कम से कम 05 शिक्षण दिवस में सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी के साथ अलग-अलग विकास खण्ड के अलग-अलग विद्यालयों का पर्यवेक्षण करेंगे तथा संयुक्त निरीक्षण आख्या के साथ वित्तीय व्यवहार में पायी गयी कमियों का उल्लेख करते हुए भविष्य में विद्यालय स्तर पर युक्तियुक्त वित्तीय व्यवहार करने की अनुशंसा को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का दायित्व होगा कि वे सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी के ऐसे पर्यवेक्षण का अनुश्रवण करें तथा उनके द्वारा दिये गये सुझावों को प्रत्येक विद्यालय स्तर तक अनुपालन हेतु प्रभावी कदम उठावें।
- विद्यालय निरीक्षण के दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) विद्यालय में कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट के उपभोग के सम्बन्ध में क्रय प्रक्रिया, सामग्री की गुणवत्ता तथा अभिलेखों के रख-रखाव व अनुदान के उपभोग में अनियमितता पाये जाने पर दोषी प्रधानाध्यापक/विद्यालय प्रबन्ध समिति के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

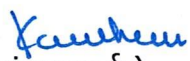
उक्त के सम्बन्ध में क्रय प्रक्रिया में पारदर्शिता, सामग्री की गुणवत्ता तथा अभिलेखों का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर जिला स्तर के अधिकारी अथवा तहसील/ब्लॉक स्तर के अधिकारी की दो सदस्यीय समिति गठित कर ली जाये एवं रैंडम आधार पर चिन्हित करते हुए प्रति विकास खण्ड 20-20 विद्यालयों की जांच करा ली जाये। सत्यापन टीम द्वारा कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की धनराशि के उपभोग, विद्यालयों में कराये गये कार्यों एवं क्रय-प्रक्रिया, सामग्रियों की गुणवत्ता तथा अभिलेखों के रख-रखाव की जांच की जायेगी।

जांच दल द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच/मूल्यांकन रिपोर्ट राज्य परियोजना कार्यालय को भी प्रेषित की जायेगी। ऐसे निरीक्षण में 'समग्र शिक्षा' के तहत विद्यालयवार क्रय/उपभोग किये गये अन्य मदों/उपयोजनाओं का भी पर्यवेक्षण किया जाना भी अपेक्षित है। सत्यापन के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता तथा गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार सक्षम स्तर से कार्यवाही की जाये। कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की धनराशि का उपभोग करने के उपरान्त विद्यालयों से निर्धारित प्रारूप पर उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाये।

कृपया उपरोक्तानुसार कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की धनराशि प्राप्त होते ही विद्यालय प्रबन्ध समिति को स्थानान्तरित (टेबलेट सिम बिल के भुगतान हेतु धनराशि रोकते हुए) करने की कार्यवाही की जाये तथा नियमानुसार धनराशि का उपभोग सुनिश्चित कराया जाये।

संलग्नक: उक्तवत्।

भवदीय,


(कंचन वर्मा)

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जनपद स्तर पर जांच समिति गठित करते हुए समग्र शिक्षा अन्तर्गत वर्ष 2025-26 में कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट हेतु अवमुक्त धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री/कराये जाने वाले कार्यों का सत्यापन कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
2. मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
3. वित्त नियंत्रक, समग्र शिक्षा, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने मण्डल से सम्बन्धित जनपदों में कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट से क्रय की जाने वाली सामग्री/कराये जाने वाले कार्यों की रैण्डम जांच किया जाना सुनिश्चित करें।
5. वरिष्ठ विशेषज्ञ(गुणवत्ता), समग्र शिक्षा, राज्य परियोजना कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
6. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकास खण्ड, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि सभी प्रधानाध्यापकों/इंचार्ज अध्यापकों को निर्देश एवं सूची की प्रति उपलब्ध कराते हुए नियमानुसार व्यय एवं अभिलेखों के रख-रखाव की कार्यवाही सुनिश्चित कराये साथ ही प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट के **Data Capture Format (DCF)** पर सूचना अपलोड कराये।
7. वैयक्तिक सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0।


(कंचन वर्मा)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा।

S.No.	District Name	Enrol >=1 <=30 (@0.25)		Enrol >30 <=100 (@0.25)		Enrol >100 <=250 (@0.50)		Enrol >250 <=1000 (@0.75)		Enrol >1000 (@1.00)		Grand Total	Release Proposal (50% of Grand Total)	SIM Card Payment amount (for 6 mc.)
39	JHANSI	163	40.75000	769	192.25000	468	234.00000	37	27.75000		0.00000	1437	494.75000	247.37500
40	JYOTIBA PHULE NAGAR	307	76.75000	594	148.50000	316	158.00000	35	26.25000		0.00000	1252	409.50000	204.75000
41	KANNAUJ	127	31.75000	851	212.75000	426	213.00000	37	27.75000		0.00000	1441	485.25000	242.62500
42	KANPUR DEHAT	365	91.25000	1114	278.50000	409	204.50000	17	12.75000		0.00000	1905	587.00000	293.50000
43	KANPUR NAGAR	328	82.00000	1023	255.75000	389	194.50000	24	18.00000		0.00000	1764	550.25000	275.12500
44	KANSHIRAM NAGAR	76	19.00000	680	170.00000	449	224.50000	45	33.75000		0.00000	1250	447.25000	223.62500
45	KAUSHAMBI	24	6.00000	357	89.25000	534	267.00000	166	124.50000		0.00000	1081	486.75000	243.37500
46	KHERI	83	20.75000	1064	266.00000	1348	674.00000	580	435.00000		0.00000	3075	1395.75000	697.87500
47	KUSHINAGAR	83	20.75000	1395	348.75000	846	423.00000	108	81.00000		0.00000	2432	873.50000	436.75000
48	LALITPUR	76	19.00000	580	145.00000	602	301.00000	88	66.00000		0.00000	1346	531.00000	265.50000
49	LUCKNOW	83	20.75000	889	222.25000	563	281.50000	64	48.00000		0.00000	1599	572.50000	286.25000
50	MAHARAJGANJ	49	12.25000	834	208.50000	708	354.00000	101	75.75000		0.00000	1692	650.50000	325.25000
51	MAHOBA	103	25.75000	377	94.25000	328	164.00000	34	25.50000		0.00000	842	309.50000	154.75000
52	MAINPURI	408	102.00000	1124	281.00000	345	172.50000	17	12.75000		0.00000	1894	568.25000	284.12500
53	MATHURA	256	64.00000	783	195.75000	427	213.50000	54	40.50000	1	1.00000	1521	514.75000	257.37500
54	MAU	90	22.50000	643	160.75000	392	196.00000	66	49.50000		0.00000	1191	428.75000	214.37500
55	MEERUT	161	40.25000	529	132.25000	301	150.50000	55	41.25000		0.00000	1046	364.25000	182.12500
56	MIRZAPUR	44	11.00000	712	178.00000	828	414.00000	218	163.50000		0.00000	1802	766.50000	383.25000
57	MORADABAD	122	30.50000	611	152.75000	560	280.00000	100	75.00000		0.00000	1393	538.25000	269.12500
58	MUZAFFARNAGAR	90	22.50000	386	96.50000	353	176.50000	97	72.75000		0.00000	926	368.25000	184.12500
59	PILIBHIT	102	25.50000	630	157.50000	628	314.00000	122	91.50000		0.00000	1482	588.50000	294.25000
60	PRATAPGARH	212	53.00000	1510	377.50000	579	289.50000	42	31.50000		0.00000	2343	751.50000	375.75000
61	PRAYAGRAJ	47	11.75000	1106	276.50000	1382	691.00000	255	191.25000		0.00000	2790	1170.50000	585.25000
62	RAE BARELI	181	45.25000	1271	317.75000	704	352.00000	114	85.50000		0.00000	2270	800.50000	400.25000
63	RAMPUR	170	42.50000	827	206.75000	526	263.00000	61	45.75000		0.00000	1584	558.00000	279.00000
64	SAHARANPUR	103	25.75000	601	150.25000	568	284.00000	142	106.50000		0.00000	1414	566.50000	283.25000
65	SAMBHAL	50	12.50000	478	119.50000	626	313.00000	119	89.25000		0.00000	1273	534.25000	267.12500
66	SANT KABIR NAGAR	103	25.75000	717	179.25000	354	177.00000	50	37.50000		0.00000	1224	419.50000	209.75000
67	SHAHJAHANPUR	129	32.25000	1219	304.75000	1146	573.00000	194	145.50000		0.00000	2688	1055.50000	527.75000
68	SHAMLI	60	15.00000	239	59.75000	230	115.00000	53	39.75000		0.00000	582	229.50000	114.75000
69	SHRAWASTI	1	0.25000	249	62.25000	548	274.00000	175	131.25000		0.00000	973	467.75000	233.87500
70	SIDDHARTH NAGAR	54	13.50000	1073	268.25000	966	483.00000	132	99.00000		0.00000	2225	863.75000	431.87500
71	SITAPUR	36	9.00000	1200	300.00000	1896	948.00000	347	260.25000		0.00000	3479	1517.25000	758.62500
72	SONBHADRA	96	24.00000	1039	259.75000	760	380.00000	165	123.75000		0.00000	2060	787.50000	393.75000
73	SULTANPUR	88	22.00000	1134	283.50000	749	374.50000	68	51.00000		0.00000	2039	731.00000	365.50000
74	UNNAO	279	69.75000	1632	408.00000	720	360.00000	52	39.00000		0.00000	2683	876.75000	438.37500
75	VARANASI	21	5.25000	326	81.50000	628	314.00000	155	116.25000		0.00000	1130	517.00000	258.50000
Grand Total		9642	2410.50000	64032	16008.00000	49240	24620.00000	8336	6252.00000	13	13.00000	131263	49303.50000	24651.75000
														0.00000

Composit Grant Proposal 2025-26 (Excluding PM Shree I and II Phase)

(Rs. in lacs)

S.No.	District Name	Enrol >=1 <=30		Enrol >30 <=100		Enrol >100 <=250		Enrol >250 <=1000		Enrol>1000		Grand Total			Release Proposal (50% of Grand Total)	SIM Card Payment amount (for 6 months)
		(@0.25)		(@0.25)		(@0.50)		(@0.75)		(@1.00)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	AGRA	485	121.25000	1334	333.50000	581	290.50000	64	48.00000	1	1.00000	2465	794.25000	397.12500		
2	ALIGARH	163	40.75000	1168	292.00000	668	334.00000	94	70.50000		0.00000	2093	737.25000	368.62500		
3	AMBEDKAR NAGAR	65	16.25000	934	233.50000	502	251.00000	62	46.50000		0.00000	1563	547.25000	273.62500		
4	AMETHI - CSM NAGAR	144	36.00000	823	205.75000	523	261.50000	64	48.00000		0.00000	1554	551.25000	275.62500		
5	AURAIYA	196	49.00000	740	185.00000	297	148.50000	19	14.25000		0.00000	1252	396.75000	198.37500		
6	AZAMGARH	93	23.25000	1240	310.00000	1144	572.00000	183	137.25000		0.00000	2660	1042.50000	521.25000		
7	BAGHPAT	40	10.00000	240	60.00000	191	95.50000	47	35.25000		0.00000	518	200.75000	100.37500		
8	BAHRAICH	28	7.00000	629	157.25000	1625	812.50000	518	388.50000		0.00000	2800	1365.25000	682.62500		
9	BALLIA	118	29.50000	1210	302.50000	770	385.00000	123	92.25000	1	1.00000	2222	810.25000	405.12500		
10	BALRAMPUR	37	9.25000	788	197.00000	835	417.50000	138	103.50000		0.00000	1798	727.25000	363.62500		
11	BANDA	124	31.00000	736	184.00000	741	370.50000	114	85.50000		0.00000	1715	671.00000	335.50000		
12	BARABANKI	50	12.50000	1185	296.25000	1194	597.00000	177	132.75000		0.00000	2606	1038.50000	519.25000		
13	BAREILLY	207	51.75000	1080	270.00000	972	486.00000	197	147.75000	1	1.00000	2457	956.50000	478.25000		
14	BASTI	146	36.50000	1348	337.00000	533	266.50000	22	16.50000		0.00000	2049	656.50000	328.25000		
15	BHADOI	2	0.50000	193	48.25000	521	260.50000	158	118.50000		0.00000	874	427.75000	213.87500		
16	BUNOR	334	83.50000	1132	283.00000	580	290.00000	55	41.25000		0.00000	2101	697.75000	348.87500		
17	BUDAUN	27	6.75000	726	181.50000	1127	563.50000	245	183.75000		0.00000	2125	935.50000	467.75000		
18	BULANDSHAHR	156	39.00000	854	213.50000	704	352.00000	110	82.50000	1	1.00000	1825	688.00000	344.00000		
19	CHANDAULI	10	2.50000	352	88.00000	629	314.50000	173	129.75000	1	1.00000	1165	535.75000	267.87500		
20	CHITRAKOOT	71	17.75000	628	157.00000	499	249.50000	53	39.75000		0.00000	1251	464.00000	232.00000		
21	DEORIA	83	20.75000	1346	336.50000	602	301.00000	58	43.50000		0.00000	2089	701.75000	350.87500		
22	ETAH	239	59.75000	1076	269.00000	349	174.50000	12	9.00000		0.00000	1676	512.25000	256.12500		
23	ETAWAH	364	91.00000	819	204.75000	265	132.50000	22	16.50000		0.00000	1470	444.75000	222.37500		
24	FAIZABAD	120	30.00000	1039	259.75000	539	269.50000	78	58.50000		0.00000	1776	617.75000	308.87500		
25	FARRUKHABAD	77	19.25000	870	217.50000	561	280.50000	55	41.25000		0.00000	1563	558.50000	279.25000		
26	FATEHPUR	135	33.75000	1000	250.00000	851	425.50000	123	92.25000		0.00000	2109	801.50000	400.75000		
27	FIROZABAD	283	70.75000	1092	273.00000	395	197.50000	40	30.00000		0.00000	1810	571.25000	285.62500		
28	GAUTAM BUDDHA NAGAR	72	18.00000	211	52.75000	153	76.50000	67	50.25000	2	2.00000	505	199.50000	99.75000		
29	GHAZIABAD	30	7.50000	170	42.50000	156	78.00000	78	58.50000	3	3.00000	437	189.50000	94.75000		
30	GHAZIPUR	116	29.00000	1142	285.50000	849	424.50000	125	93.75000		0.00000	2232	832.75000	416.37500		
31	GONDA	48	12.00000	1032	258.00000	1300	650.00000	197	147.75000		0.00000	2577	1067.75000	533.87500		
32	GORAKHPUR	117	29.25000	1323	330.75000	882	441.00000	140	105.00000		0.00000	2462	906.00000	453.00000		
33	HAMIRPUR	105	26.25000	436	109.00000	354	177.00000	56	42.00000		0.00000	951	354.25000	177.12500		
34	HAPUR	53	13.25000	225	56.25000	191	95.50000	22	16.50000	1	1.00000	492	182.50000	91.25000		
35	HARDOI	72	18.00000	1583	395.75000	1572	786.00000	182	136.50000	1	1.00000	3410	1337.25000	668.62500		
36	HATHRAS	167	41.75000	617	154.25000	397	198.50000	41	30.75000		0.00000	1222	425.25000	212.62500		
37	JALAUN	243	60.75000	889	222.25000	344	172.00000	21	15.75000		0.00000	1497	470.75000	235.37500		
38	JAUNPUR	52	13.00000	1256	314.00000	1242	621.00000	214	160.50000		0.00000	2764	1108.50000	554.25000		

संख्या- १२३३/७९-५-२०१२-२९/०९ टी०सी०-११

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान,,
लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-५

लखनऊ: दिनांक ०६ जुलाई, 2012

विषय: नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के परिप्रेक्ष्य में विद्यालय संबंधी विभिन्न कार्य विद्यालय प्रबंध समितियों के माध्यम से कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान के पत्रांक नि०का०/एसएसए/वि०प्र०स०/ 1192/2012-13 दिनांक 20, जून, 2012 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत विद्यालय निर्माण कार्य, विद्यालय रख-रखाव, विद्यालय विकास अनुदान, शिक्षक अनुदान छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क यूनीफार्म एवं अन्य कार्य "विद्यालय प्रबंध समिति" के माध्यम से कराये जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

विगत वर्षों में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न विद्यालय निर्माण कार्यों जैसे- विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, शौचालय, चहारदीवारी एवं विद्यालय अनुरक्षण, विद्यालय विकास अनुदान, शिक्षक अनुदान आदि कार्यों के क्रियान्वयन हेतु धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों के खाते में स्थानान्तरित करते हुए यह सभी कार्य ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था रही है।

उल्लेखनीय है कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या 1739/79-5-2011-29/2009 टी०सी० दिनांक 28 जून, 2011 द्वारा "विद्यालय प्रबंध समिति" का गठन सभी विद्यालयों में किया गया है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि विद्यालयों के विभिन्न कार्यों को विद्यालय प्रबंध समितियों के माध्यम से क्रियान्वित कराया जाये।

सर्व शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2012-13 के सम्बन्ध में भारत सरकार के प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड की बैठक दिनांक 18-5-2012 के कार्यवृत्त में यह निर्देश दिये गये हैं कि विद्यालय प्रबंध समितियों का गठन कराया जाये एवं उनके खाते खोले जायें ताकि शिक्षक अनुदान, विद्यालय निर्माण कार्य, विद्यालय अनुरक्षण अनुदान, विद्यालय विकास अनुदान, यूनीफार्म एवं इसी प्रकृति के अन्य कार्यों पर विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा ही सर्व शिक्षा अभियान के मापदण्डों/मानकों के अनुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाये।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत निम्नलिखित कार्यों हेतु धनराशि विद्यालय प्रबन्ध समितियों के खाते में हस्तान्तरित की जायेगी और यह कार्य केवल विद्यालय प्रबन्ध समितियों के माध्यम से ही क्रियान्वित किये जायेंगे।

1. विद्यालयों में समस्त प्रकार के निर्माण कार्य जैसे- विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, चहारदीवारी, शौचालय, ओवर हेड टैंक।
2. विद्यालय भवन की मरम्मत एवं रख-रखाव।
3. विद्यालय विकास अनुदान।
4. शिक्षक अनुदान।
5. विद्यालय में छात्र-छात्राओं के लिए यूनीफार्म उपलब्ध कराना।
6. इस प्रकृति के कोई अन्य कार्य, जो राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा स्वीकृत हों एवं जारी निर्देशों से आच्छादित हों।

मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि विद्यालय निर्माण कार्यों के दायित्व से विद्यालय के प्रधानाध्यापक/अध्यापक को मुक्त रखा जायेगा। विद्यालय निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में व्यवस्था निम्नवत् की जायेगी:-

- विद्यालय सम्बन्धी समस्त निर्माण कार्य के कार्यान्वयन हेतु विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों में से 04 सदस्यों की उप समिति निम्नवत् गठित की जाती है:
 1. विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष
 2. विद्यालय प्रबन्ध समिति के 02 अभिभावक सदस्य
 3. विद्यालय प्रबन्ध समिति में समिति द्वारा नामित पदेन शासकीय सेवक, जो विद्यालय प्रबन्ध समिति का सदस्य हो (शिक्षकों से भिन्न)।
- किसी विवाद की स्थिति में पदेन शासकीय सेवक के संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव पर जिलाधिकारी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
- उक्त उप समिति के 02 अभिभावक सदस्यों का चयन विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा बैठक/बहुमत के आधार पर किया जायेगा। उप समिति के समस्त सदस्यों के विवरण यथा परिवार रजिस्टर, मतदाता सूची में विवरण को भी प्रधानाध्यापक द्वारा अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखा जायेगा तथा सदस्यों के मोबाईल नम्बर भी अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखे जायेंगे।
- विद्यालय निर्माण हेतु गठित उक्त उप समिति के न्यूनतम 03 सदस्यों द्वारा विद्यालय निर्माण सामग्री का क्रय किया जायेगा। क्रय की गयी सामग्री का विवरण अध्यापक द्वारा हार्डट पंजिका में प्रधानाध्यापक की उपस्थिति में अंकन किया जायेगा।
- निर्माण कार्य एवं अन्य उपरोक्त वर्णित कार्य सर्व शिक्षा अभियान द्वारा स्वीकृत डिजाइन/मैनुअल एवं स्वीकृत इकाई लागत-के अनुसार कराया जायेगा।
- बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रधानाध्यापक के माध्यम से विद्यालय प्रबन्ध समिति को डिजाइन/मैनुअल इत्यादि उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा ताकि समिति को आधारभूत नियमों/विशिष्टियों एवं प्राविधानों की जानकारी रहे।

- निर्माण सामग्री की गुणवत्ता 03 सदस्यों द्वारा प्रमाणित की जायेगी, जिसमें से 01 सदस्य पदेन शासकीय सेवक होगा।
- मजदूरों की व्यवस्था विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष या किसी एक अभिभावक सदस्य द्वारा की जायेगी और साईट पंजिका में सामग्री क्रय तथा मजदूरों को किये गये भुगतान का विवरण अंकित किया जायेगा।
- उप समिति के सदस्यों द्वारा निर्माण कार्य/अन्य उपरोक्त वर्णित कार्य में क्रय/मजदूरी/दुलाई अन्य सम्बन्धित वाउचर पर तिथि सहित प्रश्नगत कार्य को प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। यदि सदस्य किसी बिन्दु से असहमत हैं तो उनके द्वारा तदनुसार अंकित भी किया जायेगा।
- समस्त निर्माण कार्यों को सम्पत्ति रजिस्टर (Asset Register) में तथा कय की गयी वस्तुओं को स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा।
- निर्माण कार्यों की अलग-अलग पत्रावलियां बनायी जायेंगी जिसमें प्रश्नगत निर्माण के संबंध में कार्यवृत्त, डिजाईन, मैनुअल, प्राप्त सामग्री एवं रसीदों आदि को व्यवस्थित किया जायेगा तथा साईट पंजिका भी साथ में रखी जायेगी। यह अभिलेख प्रधानाध्यापक द्वारा सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जायेगी एवं आवश्यकता पड़ने पर उपसमिति के उपयोगार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- चूंकि निर्माण कार्य का आडिट भी प्रावधानित है अतः आडिट के समय प्रधानाध्यापक द्वारा इन अभिलेखों को प्रस्तुत करना भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- निर्माण शुरू होने के पूर्व, निर्माण के मध्य एवं निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त प्रधानाध्यापक द्वारा प्रश्नगत भवन की फोटो भी खिंचवाकर साक्ष्य के रूप में रखी जायेगी।

विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा निर्माण कार्य की गुणवत्ता की निगरानी की जायेगी और गुणवत्ता सम्बन्धित शिकायत होने पर लिखित रूप में विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी को स्पष्ट विवरण सहित सूचित किया जायेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रश्नगत शिकायत के प्राप्त होने पर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा / ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अवर अभियन्ता के साथ प्रश्नगत निर्माण कार्य की जांच करने के उपरान्त बेसिक शिक्षा अधिकारी को आख्या प्रस्तुत की जायेगी।

प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि विद्यालय निर्माण हेतु गठित उप समिति की संस्तुतियों के आधार पर वांछित धनराशि विद्यालय प्रबन्ध समिति के खाते से निकलवाने में अध्यक्ष, विद्यालय प्रबन्ध समिति को सहयोग प्रदान करेंगे ताकि धनराशि का आहरण न होने से निर्माण कार्य में व्यवधान होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

विद्यालय निर्माण कार्यों के अतिरिक्त अन्य उल्लिखित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक अधिकृत होंगे।

विद्यालय प्रबन्ध समिति का खाता राष्ट्रीयकृत बैंक/शिड्यूल्ड बैंक में खोला जायेगा एवं विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जायेगा एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी को अवगत कराना सुनिश्चित किया जायेगा। बिना बेसिक शिक्षा अधिकारी की लिखित अनुमति के खाते को किसी अन्य बैंक में स्थानान्तरित करने अथवा नया खाता खोलने की कार्यवाही नहीं

की जा सकेगी। प्रत्येक वर्ष माह जुलाई में विद्यालय प्रबन्ध समिति तथा निर्माण हेतु गठित उप समिति के अभिभावक सदस्यों को अद्यतन किया जायेगा और तदनुसार खाता संचालन में, यथावश्यकता, संशोधन बेसिक शिक्षा अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा। विद्यालय के खाते का विधिवत् रख-रखाव तथा अभिलेख रखने का दायित्व विद्यालय के प्रधानाध्यापक का होगा और ऑडिट के समय समस्त अभिलेख उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्माण कार्यों की प्रगति तथा गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक माह खण्ड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यथा आवश्यकता निर्माण कार्यों की जांच एक टीम, जिसमें दो विभागों के अभियन्ता हों तथा एक शिक्षा विभाग के अधिकारी हों, के द्वारा जांच कराने की कार्यवाही की जायेगी। गंभीर शिकायतों के प्राप्त होने पर जिलाधिकारी द्वारा कार्य पालक मजिस्ट्रेट से जांच कराने का भी का विकल्प होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या २२२३ / 79-5-2012 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उ०प्र०।
2. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उ०प्र०।
3. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र० लखनऊ को समुचित अनुश्रवण हेतु।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल।
5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उ०प्र०।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(इन्द्रराज सिंह)
अनुसचिव।

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

महानिदेशक,
शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: महानिदेशक/कैम्प/2025/325

लखनऊ, दिनांक 10 अप्रैल, 2025

विषय: प्रदेश के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं हेतु
चिकित्सा किट (उपयोगी दवायें) रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रदेश के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं हेतु "प्राथमिक चिकित्सा किट" के लिए निम्नलिखित दवाईयों रखने की सलाह दी जाती है :-

Medicine for Primary School	Medicine for Madhyamik Shiksha Parishad School
ORS Powder	ORS Powder
Tab Ofloxacin 100 mg	Tab Paracetamol 500mg
Syrup Paracetamol	Tab Diclofenac 20 mg
Syrup Ondem	Tab Ofloxacin 200 mg
Syrup Metrogyl	Tab Ondem 4 mg
Syrup Diclofenac	Tab Metrogyl 200 mg
Betadine Ointment	Diclofenac
Cotton, Gauze and Bandage	Betadine Ointment
Bandaid	Cotton, Gauze and Bandage
Diclofenac gel Ointment	Bandaid
	Tab Digene

किन्तु साथ ही आपको यह भी अवगत कराना है कि इन दवाईयों को देने से पहले किसी एमबीबीएस चिकित्सक की सलाह अवश्य ले लें।

भवदीय,



(डा० रतन पाल सिंह सुमन)

महानिदेशक

पत्रांक: महानिदेशक/कैम्प/2025/

तद दिनांक।

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा० रतन पाल सिंह सुमन)

महानिदेशक

समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की धनराशि से विद्यालयों में क्रय की जाने वाली सामग्री/विद्यालय में कराये जाने वाले कार्यों की सूची/विवरण

रु0 25000 /- के अन्तर्गत क्रय की जाने वाली सामग्री (100 तक छात्र नामांकन वाले विद्यालयों हेतु)		
1	स्वच्छता एवं हैण्डवॉशिंग	
	I- स्वच्छता एवं हैण्डवॉशिंग	रनिंग वाटर की निर्बाध उपलब्धता सहित छात्र संख्या के अनुपात में मल्टीपल हैण्डवाशिंग की व्यवस्था अनिवार्यतः सुनिश्चित की जायेगी।
		सेनिटाइजर एवं हाथ धोने का साबुन – विद्यालय में छात्र नामांकन के आधार पर आवश्यकतानुसार
		फिनायल (10 लीटर)
		चूना (10 कि0ग्रा0)
		बाल्टी (02), मग (02)
		कूड़ादान (04), झाड़ू (04)
		टॉयलेट ब्रश (02)
		टॉयलेट क्लीनर (10 लीटर)
		नेलकटर (04)
	विद्यालय परिसर के जल निकासी एवं किचेन जल निकासी की व्यवस्था	
	II- शौचालय की क्रियाशीलता	शौचालय का टाइलीकरण/लघु मरम्मत/सफाई/सुरक्षा
2	शुद्ध पेयजल	हैण्डपम्प/सबमर्सिबल पम्प के पास पक्का प्लेटफार्म एवं सोखता गड्ढा का निर्माण।
		रसोईघर में भोजन बनाने हेतु जल आपूर्ति एवं जल निकासी की समुचित व्यवस्था।
3	श्याम पट	सभी कक्षा-कक्षों में मानकानुरूप उच्च गुणवत्तायुक्त व्हाइट/ग्रीन बोर्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
4	शिक्षण सहायक सामग्री	प्रिन्ट रिच मैटीरियल, ग्लोब, मानचित्र (विश्व, भारत, उत्तर प्रदेश), विज्ञान/भूगोल/इतिहास/अन्य ज्ञानवर्द्धक चार्ट, दिव्याग छात्रों हेतु टी0एल0एम0 एवं एम्बोस्ट ग्लोब एवं मानचित्र, आवश्यकतानुसार आलमारी का क्रय
5	फर्स्ट एड बॉक्स	रुई, मेडिकल टेप, क्रैम्प बैंडेज, मरहम पट्टी, त्रिकोणीय बैंडेज, स्पिलिंग (spilint), टूर्निक्वेट (tourniquet), थर्मामीटर, कैंची, दस्ताने, एंटीसेप्टिक लिक्विड, पेन रिलीवर टैबलेट, पेरासीटामॉल, पेट दर्द एवं गैस की दवा, बरनॉल, ओ0आर0एस0 पैकैट, आंख पर लगाने वाली पैड, गरम पानी की बोतल, ब्लेड, बर्फ की थैली, एंटीसेप्टिक क्रीम की आवश्यकतानुसार उपलब्धता।
6	अग्नि शमन यंत्र	रिफिलिंग
7	विद्युत उपकरण (क्रय/मरम्मत)	स्विच, प्लग, तार, एल0ई0डी0 बल्ब, पंखे की मरम्मत
8	कम्प्यूटर शिक्षण	इंटरनेट प्रीपेड बिल रिचार्ज के अनुसार एवं आवश्यकतानुसार कन्ज्यूमेबिल सामग्री।
9	स्मार्ट क्लास	जिन कक्षों को स्मार्ट क्लास के रूप में विकसित किया जाना है उनमें अनिवार्य रूप से मजबूत ग्रिल युक्त लोहे के दरवाजे एवं डबल इन्टरलॉकिंग आदि सुरक्षा मानकों के पूरा किया जाना।
10	अनुरक्षण कार्य	विद्यालय में उपलब्ध मरम्मत योग्य सामग्री यथा- कुर्सी, मेज, झूला, हैण्डपम्प, ब्लैक बोर्ड, फर्श एवं दीवार के आंशिक प्लास्टर/पैच वर्क एवं अन्य समस्त प्रकार की छोटी-मोटी मरम्मत एवं रख-रखाव, यथावश्यक दरवाजे हेतु ताले एवं इन्टरलॉक लगाया जाना। उपलब्ध धनराशि के अनुसार कक्षा-कक्षों का टाइलीकरण।

11	आवश्यकतानुसार रंगाई-पुताई	विद्यालय की रंगाई-पुताई, दरवाजे, खिड़कियों, ग़िल, चहारदीवारी गेट के पेन्ट।
12	पेन्टिंग कार्य	कक्षा-1 के लिए विशेष पेन्टिंग यथा बाल वाटिका का लोगो इत्यादि। बाल अधिकार विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों के नाम एवं दूरभाष नं० विद्यालय के प्रधानाध्यापक का नाम(दूरभाष नं० सहित) एवं समस्त अध्यापकों के नाम कम्पोजिट ग्रांट से कराए गए कार्यों का अंकन। अधिकारियों के नाम एवं मो० नं० (जिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, ग्राम प्रधान आदि) महत्वपूर्ण दूरभाष नं० – जैसे पुलिस सेवा, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेन्स, वूमेन पावर लाइन किचन पर मध्याह्न भोजन का मीनू एवं ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का अंकन विद्यालय में बरामदा के ऊपर विद्यालय का यू-डायस कोड एवं नाम, विकास खण्ड तथा जनपद का नाम
13	स्टेशनरी	छात्र उपस्थिति पंजिका, शिक्षक उपस्थिति पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, स्टॉक पंजिका, पुस्तकालय स्टॉक बुक, पुस्तक निगमन पंजिका, क्रीड़ा स्टॉक पंजिका, रजिस्टर, चॉक एवं डस्टर
14	टाट-पट्टी/चटाई/दरी	पर्याप्त संख्या में टाट-पट्टी/चटाईयाँ/दरी (बच्चों के कक्षाकक्ष में बैठने हेतु)
15	रेडियो प्रोग्राम (मीना मंच, जनपहल, आओ अंग्रजी सीखें)	रेडियो (केवल मरम्मत) एवं बैटरी क्रय
16	सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु	माइक/एम्पलीफायर, बांसुरी, ढोलक, मंजीरा, ढपली, स्टॉप वॉच, पी०टी० ड्रम आदि
17	सामान्य सामग्री	जग, गिलास,, घड़ा, शीशा, घण्टा (पीतल का), मुगरी, तौलिया, एयर पम्प, महापुरुषों/स्वतंत्रता सेनानियों के फोटो फ्रेम
18	बागवानी किट	खुरपी, कुदाल, हसिया, कतरनी, तसला, हजारा, टोटी, प्लास्टिक पाइप, गमला इत्यादि।
19	पुरस्कार वितरण हेतु सामग्री	विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता छात्रों को प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार, यथा-पेन/पेन्सिल/लन्च बॉक्स, कहानियों/पेन्टिंग की किताब, मोमेन्टो इत्यादि

नोट : क्रमांक 1-19 तक की सामग्री/कार्य की विद्यालय में उपलब्धता तथा आवश्यकता के आधार पर उक्त वरीयता क्रम में विद्यालय प्रबन्ध समिति के अनुमोदनोपरान्त सुनिश्चित की जायेगी और इसके अतिरिक्त विद्यालय की आवश्यकतानुसार तथा धनराशि की उपलब्धता के आधार पर, विद्यालय प्रबन्ध समिति से अनुमोदनोपरान्त अन्य सामग्री का क्रय/अन्य कार्य कराया जा सकता है

समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की धनराशि से विद्यालयों में क्रय की जाने वाली सामग्री/विद्यालय में कराये जाने वाले कार्यों की सूची/विवरण

रु0 50000 /- के अन्तर्गत क्रय की जाने वाली सामग्री 101-250 छात्र नामांकन वाले विद्यालयों हेतु		
1	स्वच्छता एवं हैण्डवॉशिंग	
	I- स्वच्छता एवं हैण्डवॉशिंग	रनिंग वाटर की निर्बाध उपलब्धता सहित छात्र संख्या के अनुपात में मल्टीपल हैण्डवाशिंग की व्यवस्था अनिवार्यतः सुनिश्चित की जायेगी।
		सेनिटाइजर एवं हाथ धोने का साबुन – विद्यालय में छात्र नामांकन के आधार पर आवश्यकतानुसार
		फिनायल (20 लीटर)
		चूना (10 कि0ग्रा0)
		बाल्टी (04), मग (04)
		कूड़ादान (05), झाड़ू (05)
		टॉयलेट ब्रश (04)
		टॉयलेट क्लीनर (20 लीटर)
		नेलकटर (08)
		विद्यालय परिसर के जल निकासी एवं किचेन जल निकासी की व्यवस्था
		कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत यह व्यवस्था अनिवार्यतः सुनिश्चित की जायेगी।
	II- शौचालय की क्रियाशीलता	शौचालय का टाइलीकरण/लघु मरम्मत/सफाई/सुरक्षा
2	शुद्ध पेयजल	हैण्डपम्प/सबमर्सिबल पम्प के पास पक्का प्लेटफार्म एवं सोखता गड़्ढा का निर्माण। रसोईघर में भोजन बनाने हेतु जल आपूर्ति एवं जल निकासी की समुचित व्यवस्था।
3	श्याम पट	सभी कक्षा-कक्षों में मानकानुरूप उच्च गुणवत्तायुक्त व्हाइट/ग्रीन बोर्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
4	शिक्षण सहायक सामग्री	प्रिन्ट रिच मैटीरियल, ग्लोब, मानचित्र (विश्व, भारत, उत्तर प्रदेश), विज्ञान/भूगोल/इतिहास/अन्य ज्ञानवर्द्धक चार्ट, दिव्याग छात्रों हेतु टी0एल0एम0 एवं एम्बोस्ट ग्लोब एवं मानचित्र, आवश्यकतानुसार आलमारी का क्रय
5	फर्स्ट एड बॉक्स	रुई, मेडिकल टेप, क्रैमप बैन्डेज, मरहम पट्टी, त्रिकोणीय बैन्डेज, स्पिलिंट (spilint), टूर्निक्वेट (tourniquet), थर्मामीटर, कैंची, दस्ताने, एंटीसेप्टिक लिक्विड, पेन रिलीवर टैबलेट, पेरासीटामॉल, पेट दर्द एवं गैस की दवा, बरनॉल, ओ0आर0एस0 पैकैट, आंख पर लगाने वाली पैड, गरम पानी की बोतल, ब्लेड, बर्फ की थैली, एंटीसेप्टिक क्रीम की आवश्यकतानुसार उपलब्धता।
6	अग्नि शमन यंत्र	रिफिलिंग, 04 बालू भरी बाल्टी।
7	विद्युत उपकरण (क्रय/मरम्मत)	स्विच, प्लग, तार, एल0ई0डी0 बल्ब, पंखे की मरम्मत
8	कम्प्यूटर शिक्षण	इंटरनेट प्रीपेड बिल रिचार्ज के अनुसार एवं आवश्यकतानुसार कन्ज्यूमेबिल सामग्री, इंटरनेट हेतु डांगल/मॉडम, पेनड्राइव।
9	स्मार्ट क्लास	जिन कक्षाओं को स्मार्ट क्लास के रूप में विकसित किया जाना है उनमें अनिवार्य रूप से मजबूत ग़्रिल युक्त लोहे के दरवाजे एवं डबल इंटरलॉकिंग आदि सुरक्षा मानकों के पूरा किया जाना।

10	अनुरक्षण कार्य	विद्यालय में उपलब्ध मरम्मत योग्य सामग्री यथा— कुर्सी, मेज, झूला, हैण्डपम्प, ब्लैक बोर्ड, फर्श एवं दीवार के आंशिक प्लास्टर/पैच वर्क एवं अन्य समस्त प्रकार की छोटी-मोटी मरम्मत एवं रख-रखाव, यथावश्यक दरवाजे हेतु ताले एवं इन्टरलॉक लगाया जाना। उपलब्ध धनराशि के अनुसार कक्षा-कक्षों का टाइलीकरण।
11	आवश्यकतानुसार रंगाई-पुताई	विद्यालय की रंगाई-पुताई, दरवाजे, खिड़कियों, ग्निल, चहारदीवारी गेट के पेन्ट।
12	पेन्टिंग कार्य	कक्षा-1 के लिए विशेष पेन्टिंग यथा बाल वाटिका का लोगो इत्यादि। बाल अधिकार विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों के नाम एवं दूरभाष नं० विद्यालय के प्रधानाध्यापक का नाम(दूरभाष नं० सहित) एवं समस्त अध्यापकों के नाम कम्पोजिट ग्रांट से कराए गए कार्यों का अंकन। अधिकारियों के नाम एवं मो० नं० (जिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, ग्राम प्रधान आदि) महत्वपूर्ण दूरभाष नं० — जैसे पुलिस सेवा, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेन्स, वूमेन पावर लाइन किचन पर मध्याह्न भोजन का मीनू एवं ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का अंकन विद्यालय में बरामदा के ऊपर विद्यालय का यू-डायस कोड एवं नाम, विकास खण्ड तथा जनपद का नाम
13	स्टेशनरी	छात्र उपस्थिति पंजिका, शिक्षक उपस्थिति पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, स्टॉक पंजिका, पुस्तकालय स्टॉक बुक, पुस्तक निगमन पंजिका, क्रीड़ा स्टॉक पंजिका, रजिस्टर, चॉक एवं डस्टर
14	टाट-पट्टी/चटाई/दरी	पर्याप्त संख्या में टाट-पट्टी/चटाईयाँ/ दरी (बच्चों के कक्षाकक्ष में बैठने हेतु)
15	रेडियो प्रोग्राम (मीना मंच, जनपहल, आओ अंग्रजी सीखें)	रेडियो (केवल मरम्मत) एवं बैटरी क्रय
16	सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु	माइक/एम्पलीफायर, बांसुरी, ढोलक, मंजीरा, ढपली, स्टॉप वॉच, पी०टी० ड्रम आदि
17	सामान्य सामग्री	जग, गिलास,, घड़ा, शीशा, घण्टा (पीतल का), मुगरी, तौलिया, एयर पम्प, दीवार घड़ी, महापुरुषों/स्वतंत्रता सेनानियों के फोटो फ्रेम, एक बुलेटिन बोर्ड, आलमारी, बुक सेल्फ,
18	बागवानी किट	खुर्पी, कुदाल, हसिया, कतरनी, तसला, हजारा, टोटी, प्लास्टिक पाइप, गमला इत्यादि।
19	पुरस्कार वितरण हेतु सामग्री	विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता छात्रों को प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार, यथा-पेन/पेन्सिल/लन्च बॉक्स, कहानियों/पेन्टिंग की किताब, मोमेन्टो इत्यादि

नोट : क्रमांक 1-19 तक की सामग्री/कार्य की विद्यालय में उपलब्धता तथा आवश्यकता के आधार पर उक्त वरीयता क्रम में विद्यालय प्रबन्ध समिति के अनुमोदनोपरान्त सुनिश्चित की जायेगी और इसके अतिरिक्त विद्यालय की आवश्यकतानुसार तथा धनराशि की उपलब्धता के आधार पर, विद्यालय प्रबन्ध समिति से अनुमोदनोपरान्त अन्य सामग्री का क्रय/अन्य कार्य कराया जा सकता है

समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की धनराशि से विद्यालयों में क्रय की जाने वाली सामग्री/विद्यालय में कराये जाने वाले कार्यों की सूची/विवरण

रु0 75000/- के अन्तर्गत क्रय की जाने वाली सामग्री 251-1000 छात्र नामांकन वाले विद्यालयों हेतु		
1	स्वच्छता एवं हैण्डवॉशिंग	
	I- स्वच्छता एवं हैण्डवॉशिंग	रनिंग वाटर की निर्बाध उपलब्धता सहित छात्र संख्या के अनुपात में मल्टीपल हैण्डवाशिंग की व्यवस्था अनिवार्यतः सुनिश्चित की जायेगी।
		सेनिटाइजर एवं हाथ धोने का साबुन – विद्यालय में छात्र नामांकन के आधार पर आवश्यकतानुसार
		फिनायल (20 लीटर)
		चूना (10 कि0ग्रा0)
		बाल्टी (06), मग (06)
		कूड़ादान (06), झाड़ू (10)
		टॉयलेट ब्रश (10)
		टॉयलेट क्लीनर (20 लीटर अथवा अनिवार्य रूप से विद्यालय की आवश्यकतानुसार)
		नेलकटर (10)
		विद्यालय परिसर के जल निकासी एवं किचेन जल निकासी की व्यवस्था
		कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत यह व्यवस्था अनिवार्यतः सुनिश्चित की जायेगी।
	II- शौचालय की क्रियाशीलता	शौचालय का टाइलीकरण/लघु मरम्मत/सफाई/सुरक्षा
2	शुद्ध पेयजल	हैण्डपम्प/सबमर्सिबल पम्प के पास पक्का प्लेटफार्म एवं सोरखा गड्ढा का निर्माण।
		रसोईघर में भोजन बनाने हेतु जल आपूर्ति एवं जल निकासी की समुचित व्यवस्था।
3	श्याम पट	सभी कक्षा-कक्षों में मानकानुरूप उच्च गुणवत्तायुक्त व्हाइट/ग्रीन बोर्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
4	कक्षा कक्षों का टाइलीकरण	उपलब्ध धनराशि के अनुरूप योजनाबद्ध ढंग से कक्षों का टाइलीकरण किया जाएगा।
5	शिक्षण सहायक सामग्री	प्रिन्ट रिच मैटीरियल, ग्लोब, मानचित्र (विश्व, भारत, उत्तर प्रदेश), विज्ञान/भूगोल/इतिहास/अन्य ज्ञानवर्द्धक चार्ट, दिव्यांग छात्रों हेतु टी0एल0एम0 एवं एम्बोस्ट ग्लोब एवं मानचित्र, आवश्यकतानुसार आलमारी का क्रय
6	फर्स्ट एड बॉक्स	रुई, मेडिकल टेप, क्रैम्प बैंडेज, मरहम पट्टी, त्रिकोणीय बैंडेज, स्पिलिंग (spilint), टूर्निक्वेट (tourniquet), थर्मामीटर, कैची, दस्ताने, एंटीसेप्टिक लिक्विड, पेन रिलीवर टैबलेट, पेरासीटामॉल, पेट दर्द एवं गैस की दवा, बरनॉल, ओ0आर0एस0 पैकेट, आंख पर लगाने वाली पैड, गरम पानी की बोतल, ब्लेड, बर्फ की थैली, एंटीसेप्टिक क्रीम की आवश्यकतानुसार उपलब्धता।
7	अग्नि शमन यंत्र	रिफिलिंग, 04 बालू भरी बाल्टी।
8	विद्युत उपकरण (क्रय/मरम्मत)	स्विच, प्लग, तार, एल0ई0डी0 बल्ब, पंखे की मरम्मत
9	कम्प्यूटर शिक्षण	इंटरनेट प्रीपेड बिल रिचार्ज के अनुसार एवं आवश्यकतानुसार कन्ज्यूमेबिल सामग्री, इंटरनेट हेतु डांगल/मॉडम, पेनड्राइव।

10	स्मार्ट क्लास	जिन कक्षों को स्मार्ट क्लास के रूप में विकसित किया जाना है उनमें अनिवार्य रूप से मजबूत ग्रिल युक्त लोहे के दरवाजे एवं डबल इंटरलॉकिंग आदि सुरक्षा मानकों के पूरा किया जाना।
11	अनुरक्षण कार्य	विद्यालय में उपलब्ध मरम्मत योग्य सामग्री यथा— कुर्सी, मेज, झूला, हैण्डपम्प, ब्लैक बोर्ड, फर्श एवं दीवार के आंशिक प्लास्टर/पैच वर्क एवं अन्य समस्त प्रकार की छोटी-मोटी मरम्मत एवं रख-रखाव, यथावश्यक दरवाजे हेतु ताले एवं इन्टरलॉक लगाया जाना। उपलब्ध धनराशि के अनुसार कक्षा-कक्षों का टाइलीकरण।
12	आवश्यकतानुसार रंगाई-पुताई पेन्टिंग कार्य	विद्यालय की रंगाई-पुताई, दरवाजे, खिड़कियों, ग्रिल, चहारदीवारी गेट के पेन्ट। कक्षा-1 के लिए विशेष पेन्टिंग यथा बाल वाटिका का लोगो इत्यादि। बाल अधिकार विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों के नाम एवं दूरभाष नं० विद्यालय के प्रधानाध्यापक का नाम(दूरभाष नं० सहित) एवं समस्त अध्यापकों के नाम कम्पोजिट ग्रांट से कराए गए कार्यों का अंकन। अधिकारियों के नाम एवं मो० नं० (जिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, ग्राम प्रधान आदि) महत्वपूर्ण दूरभाष नं० — जैसे पुलिस सेवा, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेन्स, वूमेन पावर लाइन किचन पर मध्याह्न भोजन का मीनू एवं ऑपरेशन कार्याकल्प के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का अंकन विद्यालय में बरामदा के ऊपर विद्यालय का यू-डायस कोड एवं नाम, विकास खण्ड तथा जनपद का नाम
13	स्टेशनरी	छात्र उपस्थिति पंजिका, शिक्षक उपस्थिति पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, स्टॉक पंजिका, पुस्तकालय स्टॉक बुक, पुस्तक निगमन पंजिका, क्रीड़ा स्टॉक पंजिका, रजिस्टर, चॉक एवं डस्टर
14	टाट-पट्टी/चटाई/दरी	पर्याप्त संख्या में टाट-पट्टी/चटाईयाँ/ दरी (बच्चों के कक्षाकक्ष में बैठने हेतु)
15	रेडियो प्रोग्राम (मीना मंच, जनपहल, आओ अंग्रेजी सीखें)	रेडियो (केवल मरम्मत) एवं बैटरी क्रय
16	सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु	माइक/एम्पलीफायर, बांसुरी, ढोलक, मंजीरा, ढपली, स्टॉप वॉच, पी०टी० ड्रम आदि
17	सामान्य सामग्री	जग, गिलास,, घड़ा, शीशा, घण्टा (पीतल का), मुगरी, तौलिया, एयर पम्प, दीवार घड़ी, महापुरुषों/स्वतंत्रता सेनानियों के फोटो फ्रेम, एक बुलेटिन बोर्ड, आलमारी, बुक सेल्फ, अन्य सामग्री यथा— पर्दे एवं साज-सज्जा उपकरण।
18	बागवानी किट	खुरपी, कुदाल, हसिया, कतरनी, तसला, हजारा, टोटी, प्लास्टिक पाइप, गमला इत्यादि।
19	पुरस्कार वितरण हेतु सामग्री	विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता छात्रों को प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार, यथा—पेन/पेन्सिल/लन्च बॉक्स, कहानियों/पेन्टिंग की किताब, मोमेन्टो इत्यादि

नोट : क्रमांक 1-19 तक की सामग्री/कार्य की विद्यालय में उपलब्धता तथा आवश्यकता के आधार पर उक्त वरीयता क्रम में विद्यालय प्रबन्ध समिति के अनुमोदनोपरान्त सुनिश्चित की जायेगी और इसके अतिरिक्त विद्यालय की आवश्यकतानुसार तथा धनराशि की उपलब्धता के आधार पर, विद्यालय प्रबन्ध समिति से अनुमोदनोपरान्त अन्य सामग्री का क्रय/अन्य कार्य कराया जा सकता है

समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की धनराशि से विद्यालयों में क्रय की जाने वाली सामग्री/विद्यालय में कराये जाने वाले कार्यों की सूची/विवरण

रु0 1,00,000 /- के अन्तर्गत क्रय की जाने वाली सामग्री 1000 से अधिक छात्र नामांकन वाले विद्यालयों हेतु)		
1	स्वच्छता एवं हैण्डवॉशिंग	
	I- स्वच्छता एवं हैण्डवॉशिंग	कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत रनिंग वाटर की निर्बाध उपलब्धता सहित छात्र संख्या के अनुपात में मल्टीपल हैण्डवाशिंग की व्यवस्था अनिवार्यतः सुनिश्चित की जायेगी।
		सेनिटाइजर एवं हाथ धोने का साबुन – विद्यालय में छात्र नामांकन के आधार पर आवश्यकतानुसार
		फिनायल (20 लीटर)
		चूना (10 कि0ग्रा0)
		बाल्टी (10), मग (20)
		कूड़ादान (10), झाड़ू (10)
		टॉयलेट ब्रश (10)
		टॉयलेट क्लीनर (20 लीटर अथवा अनिवार्य रूप से विद्यालय की आवश्यकतानुसार)
		नेलकटर (20)
		विद्यालय परिसर के जल निकासी एवं किचेन जल निकासी की व्यवस्था
2	शुद्ध पेयजल	II- शौचालय की क्रियाशीलता
		शौचालय का टाइलीकरण/लघु मरम्मत/सफाई/सुरक्षा
3	शुद्ध पेयजल	हैण्डपम्प/सबमर्सिबल पम्प के पास पक्का प्लेटफार्म एवं सोखता गड्ढा का निर्माण।
		रसोईघर में भोजन बनाने हेतु जल आपूर्ति एवं जल निकासी की समुचित व्यवस्था।
3	श्याम पट	सभी कक्षा-कक्षों में मानकानुरूप उच्च गुणवत्तायुक्त व्हाइट/ग्रीन बोर्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
4	कक्षा कक्षों का टाइलीकरण	उपलब्ध धनराशि के अनुरूप योजनाबद्ध ढंग से कक्षों का टाइलीकरण किया जाएगा।
5	शिक्षण सहायक सामग्री	प्रिन्ट रिच मैटीरियल, ग्लोब, मानचित्र (विश्व, भारत, उत्तर प्रदेश), विज्ञान/भूगोल/इतिहास/अन्य ज्ञानवर्द्धक चार्ट, दिव्याग छात्रों हेतु टी0एल0एम0 एवं एम्बोस्ट ग्लोब एवं मानचित्र, आवश्यकतानुसार आलमारी का क्रय
6	फर्स्ट एड बॉक्स	रुई, मेडिकल टेप, क्रैम्प बैंडेज, मरहम पट्टी, त्रिकोणीय बैंडेज, स्पिलिंट (spilint), टूर्निक्वेट (tourniquet), थर्मामीटर, कैं ग्री, दस्ताने, एंटीसेप्टिक लिक्विड, पेन रिलीवर टैबलेट, पेरासीटामॉल, पेट दर्द एवं गैस की दवा, बरनॉल, ओ0आर0एस0 पैकैट, आंख पर लगाने वाली पैड, गरम पानी की बोतल, ब्लेड, बर्फ की थैली, एंटीसेप्टिक क्रीम की आवश्यकतानुसार उपलब्धता।
7	अग्नि शमन यंत्र	रिफिलिंग, 04 बालू भरी बाल्टी।
8	विद्युत उपकरण (क्रय/मरम्मत)	स्विच, प्लग, तार, एल0ई0डी0 बल्ब, पंखे की मरम्मत
9	कम्प्यूटर शिक्षण	इंटरनेट प्रीपेड बिल रिचार्ज के अनुसार एवं आवश्यकतानुसार कन्ज्यूमेबिल सामग्री, इंटरनेट हेतु डांगल/मॉडम, पेनड्राइव।
10	स्मार्ट क्लास	जिन कक्षों को स्मार्ट क्लास के रूप में विकसित किया जाना है उनमें अनिवार्य रूप से मजबूत ग्रिल युक्त लोहे के दरवाजे एवं डबल इंटरलॉकिंग आदि सुरक्षा मानकों के पूरा किया जाना।

11	अनुरक्षण कार्य	विद्यालय में उपलब्ध मरम्मत योग्य सामग्री यथा— कुर्सी, मेज, झूला, हैण्डपम्प, ब्लैक बोर्ड, फर्श एवं दीवार के आंशिक प्लास्टर/पैच वर्क एवं अन्य समस्त प्रकार की छोटी-मोटी मरम्मत एवं रख-रखाव, यथावश्यक दरवाजे हेतु ताले एवं इण्टरलॉक लगाया जाना। उपलब्ध धनराशि के अनुसार कक्षा-कक्षों का टाइलीकरण।
12	आवश्यकतानुसार रंगाई-पुताई पेंटिंग कार्य	विद्यालय की रंगाई-पुताई, दरवाजे, खिड़कियों, ग्रिल, चहारदीवारी गेट के पेन्ट। कक्षा-1 के लिए विशेष पेंटिंग यथा बाल वाटिका का लोगो इत्यादि। बाल अधिकार विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों के नाम एवं दूरभाष नं० विद्यालय के प्रधानाध्यापक का नाम (दूरभाष नं० सहित) एवं समस्त अध्यापकों के नाम कम्पोजिट ग्रांट से कराए गए कार्यों का अंकन। अधिकारियों के नाम एवं मो० नं० (जिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, ग्राम प्रधान आदि) महत्वपूर्ण दूरभाष नं० — जैसे पुलिस सेवा, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेन्स, वूमैन पावर लाइन किचन पर मध्याह्न भोजन का मीनू एवं ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का अंकन विद्यालय में बरामदा के ऊपर विद्यालय का यू-डायस कोड एवं नाम, विकास खण्ड तथा जनपद का नाम
13	स्टेशनरी	छात्र उपस्थिति पंजिका, शिक्षक उपस्थिति पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, स्टॉक पंजिका, पुस्तकालय स्टॉक बुक, पुस्तक निगमन पंजिका, क्रीड़ा स्टॉक पंजिका, रजिस्टर, चॉक एवं डस्टर
14	टाट-पट्टी/चटाई/दरी	पर्याप्त संख्या में टाट-पट्टी/चटाईयाँ/दरी (बच्चों के कक्षाकक्ष में बैठने हेतु)
15	रेडियो प्रोग्राम (मीना मंच, जनपहल, आओ अंग्रेजी सीखें)	रेडियो (केवल मरम्मत) एवं बैटरी क्रय
16	सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु	माइक/एम्पलीफायर, बांसुरी, ढोलक, मंजीरा, ढपली, स्टॉप वॉच, पी०टी० ड्रम आदि
17	सामान्य सामग्री	जग, गिलास,, घड़ा, शीशा, घण्टा (पीतल का), मुगरी, तौलिया, एयर पम्प, दीवार घड़ी, महापुरुषों/स्वतंत्रता सेनानियों के फोटो फ्रेम, एक बुलेटिन बोर्ड, आलमारी, बुक सेल्फ, अन्य सामग्री यथा— पर्दे एवं साज-सज्जा उपकरण।
18	बागवानी किट	खुर्पी, कुदाल, हसिया, कतरनी, तसला, हजारा, टोटी, प्लास्टिक पाइप, गमला इत्यादि।
19	पुरस्कार वितरण हेतु सामग्री	विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता छात्रों को प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार, यथा—पेन/पेन्सिल/लन्च बॉक्स, कहानियों/पेंटिंग की किताब, मोमेन्टो इत्यादि

नोट : क्रमांक 1-19 तक की सामग्री/कार्य की विद्यालय में उपलब्धता तथा आवश्यकता के आधार पर उक्त वरीयता क्रम में विद्यालय प्रबन्ध समिति के अनुमोदनोपरान्त सुनिश्चित की जायेगी और इसके अतिरिक्त विद्यालय की आवश्यकतानुसार तथा धनराशि की उपलब्धता के आधार पर, विद्यालय प्रबन्ध समिति से अनुमोदनोपरान्त अन्य सामग्री का क्रय/अन्य कार्य कराया जा सकता है